पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर 492002
ई-मेल-igcafphq.2011@gmail.com फोन नं. 0771-2434959, फैक्स नं. 0771-2434009

क्रमांक-पु.मु./अ.म.नि./छ.स.बल मुख्या./सेक्शन-3(भर्ती)/ **I - 254 – B /23,** दिनांक : **06/09/2023**

- विज्ञापन -

छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित काउंटर इंसरजेंसी एण्ड एंटी टेररिस्ट स्कूल (CIATs) हेतु **जे.सी.ओ.** एवं **एन.सी.ओ.** के रिक्त पदों की पूर्ति **संविदा** (Contract) पर किये जाने हेतु, सेना के न्यूनतम समकक्ष पदों से सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस भर्ती में सम्मिलित होने वाले इच्छुक पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन-पत्र निम्न दर्शाये गये पते पर, निर्धारित आवेदन-पत्र के प्रारूप में, सही-सही जानकारी, पूर्ण विवरण के साथ दिनाँक 27.09.2023 की शाम 05:30 बजे तक जमा कर सकेंगे। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(1) संविदा नियुक्ति हेतु रिक्तियों का विवरण :-

क्र.	पद	कुल रिक्तियाँ	प्रवर्गवार रिक्तियाँ			
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1.	जे.सी.ओ.	14	2	1	10	1
2.	एन.सी.ओ.	7	-	1	5	1

(2) आवेदन-पत्र जमा करने का पता :-

भर्ती के लिए इच्छुक अधिकारी अपने-अपने आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि तक ही निम्न पते पर जमा कर सकेंगे :-

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, एस.टी.एफ., बघेरा,
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) पिन-491001
दूरभाष :- 0788-2110069

(3) भर्ती कार्यक्रम निम्नानुसार है-

क्र.	विवरण	दिनांक .....से दिनांक.....तक	स्थान
1.	मूल प्रमाण पत्रों की छानबीन एवं साक्षात्कार	03.10.2023 से 06.10.2023	एसटीएफ.बघेरा, जिला-दुर्ग

टीप - साक्षात्कार अभ्यर्थियों द्वारा किये गये कोर्स (ग्रेडिंग सहित) अनुदेश सबंधी अनुभव, Counter Insurgency, Environment की सेवा, आयु एवं सामान्य स्वास्थ्य पर आधारित होगा।

(4) आयु सीमा-

सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिये या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिये दी जा सकेगी।

(5) योग्यता -

जे.सी.ओ./एन.सी.ओ. -

1. काउंटर इंसरजेंसी एण्ड जंगलवार फेयर प्रशिक्षण प्राप्त।
2. एंटी टेरीरिज्म प्रशिक्षण प्राप्त।

उपरोक्तानुसार कोर्स उत्तीर्ण/अनुभव होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षक के रूप अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी प्रशिक्षक को तत्संबंधी का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिये, जिस हेतु विभागीय संविदा भर्ती समिति द्वारा टेस्ट लिया जावेगा, जिसमें संतोषजनक पाये जाने पर ही अभ्यर्थी की पात्रता एवं नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा।

(6) संविदा वेतन :-

1. मासिक संविदा वेतन प्रतिमाह एकमुश्त देय होगा-
   (1) जे.सी.ओ. - 55,000/- (2) एन.सी.ओ. - 35,000/-

2. संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

(7) अवकाश की पात्रता:-

संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के **आकस्मिक अवकाश** तथा 3 दिनों के **ऐच्छिक अवकाश** का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवामुक्त होने पर, आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महिनों के लिये आनुपातिक आधार पर की जायेगी।

स्पष्टीकरण- गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जाएगा तथा विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष का तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जायेगा।

काउंटर इंसरजेंसी एण्ड एंटी टेररिस्ट स्कूल (CIATs) में संविदा में पदस्थ सेना/पुलिस सेवा के अधिकारियों जो कि लगातार प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य में लगे होने के कारण रविवार, द्वितीय एवं तृतीय शनिवार के अवकाश का लाभ नहीं उठा पाते है, उन्हें उक्त अवकाश के दिन के एवज में कार्य दिवस में वर्ष में अधिकतम 30 दिवस का एवजी अवकाश देय होगा।

(8) यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधायें :-

मासिक संविदा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति को उस पद के लिये निर्धारित यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

(9) **संविदा नियुक्ति की अवधि -**

1. संविदा नियुक्ति प्रथम बार, **तीन वर्ष** की कालावधि के लिए की जायेगी, तथापि, राज्य सरकार, आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात्, संविदा नियुक्ति की कालावधि को एक बार में अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाते हुए, संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी।
2. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिये पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
3. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(10) **स्वास्थ्य परीक्षण :-**

अभ्यर्थियों को इकाई में आमद देने के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण नियमानुसार कराना होगा जिसमें उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ्य होना आवश्यक होगा।

(11) **सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिए अनर्हताएँ :-**

1. सेवा अभिलेखों में निष्ठा प्रमाणित नहीं होना।
2. सेवा अभिलेख में विगत तीन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन/कार्य मूल्यांकन का वर्गीकरण बहुत अच्छा अथवा/ या उससे उच्च स्तर का न होना।
3. विभागीय जांच/अभियोजन लंबित होना।
4. सेवा में रहते हुए अंतिम वर्ष में दंडित होना।
5. पेंशन रोकने के दंड से दंडित होना।
6. सेवा से पदच्युत किये जाने/हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाना।
7. किसी प्रकरण में दोष सिद्ध होना।
8. शासकीय सेवा के लिये अन्य सामान्य अनर्हतायें।

नोट- उम्मीद्वार को उपरोक्त बिन्दुओं पर अपने-अपने मूल विभाग के सक्षम अधिकारी से तद्आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

अन्य शर्तें :-

1. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
3. संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर. (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) लेखबद्ध किया जाएगा एवं संविदा आधार पर आगे और नियुक्ति के लिए उसका विचारण किए जाने की दशा में, संविदात्मक सेवा की कालावधि के विस्तारण हेतु उसका गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर. (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) का निर्धारण उत्कृष्ट या बहुत अच्छा होना आवश्यक है।

4. सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे/उन्हें अन्य कार्यालय में समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा और उसे/उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ-साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके/उनके लिये बाध्यकारी होगा।
5. संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 45-क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जायेगी तथा उसे शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी।
6. पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊँ, मराठा जाति का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार को संबंधित विभाग, जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है का विभाग में सेवा करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
8. उम्मीदवार द्वारा अपने सेवाकाल में किये गये प्रशिक्षण संबंधी जानकारी जो विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।
10. अभ्यर्थी भर्ती स्थल पर सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे।
11. अभ्यर्थी के स्वयं की स्वस्थ्यता संबंधी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
12. अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र।

06/09/2023

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल
हेतु-पुलिस महानिदेशक, छ.ग.

प्रति,

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक,
एस.टी.एफ., बघेरा
जिला - दुर्ग (छ.ग.) ।

आवेदित पद का नाम ....

1 आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी मे) - ....

2 पिता का नाम - ....

3 जन्मतिथि (अंको में)DD/MM/YY -

(शब्दों में) - ....

4 प्रवर्ग-अनारक्षित/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. - ....

5 पत्राचार का पता - ....

....

....

जिला..........................राज्य...................

मोबाईल नम्बर - ....

6 स्थाई पता - ....

....

....

जिला..........................राज्य...................

मोबाईल नम्बर - ....

7 सेना में प्रथम नियुक्ति दिनांक - ....

8 सेना से सेवानिवृत्ति दिनांक - ....

9 सेना से सेवानिवृत्ति दिनांक को धारित पद एवं कार्यालय/इकाई का नाम - ....

10 सेवा के दौरान प्राप्त किये गये प्रशिक्षण का विवरण (प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें) :-

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण संस्था का नाम	परिणाम
1				
2				
3				
4				
5				

नोट :- उम्मीदवार आवेदन-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ एवं संलग्न किये जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेजों की छायाप्रति पर स्वयं सत्यापित करेंगे।

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि, उपरोक्त जानकारी जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक विश्वास है, सही है और पूर्ण है। मैं ऐसी किसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाये जाने के लिये मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पायी जावे तो नियुक्ति प्राधिकारी को मुझे बिना सूचना दिये या बिना कारण बताये मेरी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा ।

दिनांक ....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम ....

से.नि. को धारित पद ....

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी – वेकेंसी का सबसे भरोसेमंद वेबसाइट

गूगल में सर्च करें – माय वेकेंसी डॉट नेट (**MyVacancy.net**)

MyVacancy.net

School / College - Admission / Course / Training / Exam/ Result

व्हाट्सअप + टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज करें **9303233188**

डायरेक्ट वेबसाइट में जाने के लिए इस पेज में कहीं भी क्लिक करें